Index

S.No.	Particulars	Page No.	Remark
1.	Pleading		
2.	Object of Pleading		
3.	General Rules of Pleading		
4.	Amendment of Pleading		

UNITED SECULAR SOCIETY

INDEX

PLEADING : CIVIL

SR.NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	PLAINTS	1-17
2.	WRITTEN STATEMENTS	18-22
3.	AFFIDAVIT	23-26
4.	EXECUTION PETITION	27-29
5.	MEMORANDUM OF APPEAL	30-35
6.	MEMORANDUM REVISION	36-38
7.	PETITION U/A 226 MANDAMUS WRIT.	39-42
8.	PETITION U/A-32 HABEAS CORPUS -	43-46
9.	NOTICE U/SEC 80. C. P. C.	47-49

UNITED SECULAR SOCIETY

INDEX
CRIMINAL

SR. NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	COMPLAINT	50-52
2.	CRIMINAL MISC- PETITION	53-54
3.	BAIL APPLICATION	55-58
4.	ANTICIPATORY BAIL APPLICATION	59-61.
5.	F. I. R.	62
6.	CHARGE	63-64

UNITED SECULAR SOCIETY

INDEX
CONVEYANCING

SR. NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	(A) SALE DEED-I (B) SALE DEED-II	66-67 68-70
2.	(A) MORTGAGE DEED-I (B) MORTGAGE DEED-II	71-71-A 72-
3	(A) LEASE DEED-I (B) LEASE DEED-II	73-75 76-77
4.	GIFT DEED	78
5	(A) PROMISSORY NOTE-I (B) PROMISSORY NOTE-II	79 80
6.	POWER OF ATTORNEY	81-82
7.	WILL	83-84
8.	ADOPTION DEED	85-86

UNITED SECULAR SOCIETY

1\. **अभिवचन** :- आदेश 6 नियम 1 सी॰पी॰सी॰ में अभिवचन की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार अभिवचन से तात्पर्य वाद पत्र या लिखित कथन से है। परन्तु यह परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती। क्योंकि अभिवचन में याचिका, आपत्तियाँ, अपील का ज्ञापन आदि भी सम्मिलित हैं।

अभिवचन, मुकदमे की आधारशिला है। अभिवचन पक्षकारों द्वारा अपने संकथनों और दावों या प्रतिदावों को रखते हुए और विस्तृत विवरण देते हुए लेखबद्ध कथन होते हैं, जिससे कि विरोधी पक्षकार को यह ज्ञात हो जाये कि उसे किस मामले का सामना करना है, या उसके मामले का क्या उत्तर है।

2\. **अभिवचन का उद्देश्य** :- "अभिवचन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पक्ष उन प्रश्नों के प्रति जागरूक हो सके, जिन पर इसलिए तर्क किया जाना है, क्योंकि उनका ऐसा साक्ष्य, जो कि

UNITED SECULAR SOCIETY

वाद पद के लिए समुचित हों, को सामने लाने का अवसर मिल सके।"

इस प्रकार अभिवचन का उद्देश्य पक्षकारों को निश्चित वाद-पदों के अंदर बांधना है और उसके द्वारा वाद में व्यय और विलम्ब को बचाना है, विशेष रूप से सुनवाई के समय दोनों पक्षकारों के आपेक्षित अभिसाक्ष्य की मात्रा के सम्बन्ध में व्यय और विलम्ब को बचाना है। "न्यायिक प्रक्रिया स्वचलित नहीं होती, उसे किसी माध्यम से गति प्रदान करनी होती है और वह माध्यम है "अभिवचन"।

3- अभिवचन के नियम। — अभिवचन के मूलभूत नियम निम्नलिखित हैं—

(i) प्रत्येक अभिवचन तथ्यों का, न कि विधि का अभिकथन करेगा।

(ii) प्रत्येक अभिवचन सारवान तथ्यों का और केवल सारवान तथ्यों का अभिकथन करेगा।

(iii) अभिवचन में सारभूत तथ्यों का न कि साक्ष्य का अभिकथन होगा।

(iv) आवश्यक विवरण देना।

(v) विधिजन्य उपधारणा का अभिकथन नहीं करना चाहिए।

(vi) प्रत्येक अभिवचन पैराग्राफ में विभाजित होना चाहिए।

(vii) प्रत्येक अभिवचन हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होना चाहिए।

UNITED SECULAR SOCIETY

(4) अभिवचन में संशोधन — न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्याय संगत हो, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेंगे, जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

परन्तु विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुँचे कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।

UNITED SECULAR SOCIETY

वाद पत्र क्या है-

वाद-पत्र किसी दावे का बयान होता है, जो वादी द्वारा लिखित रूप से सम्बंधित न्यायालय में पेश किया जाता है, जिसमें वह अपने वाद-कारण और समस्त आवश्यक बातों का विवरण देता है। यह वादी के दावे का ऐसा कथन होता है, जिसके आधार पर वह न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है।

प्रत्येक वाद का आरम्भ वाद-पत्र के न्यायालय में दाखिल करने से होता है, तथा यह वाद का सर्वप्रथम अभिकथन होता है। वाद-पत्र के निम्नलिखित तीन मुख्य भाग होते हैं-

1. वाद-पत्र का शीर्षक और पक्षो के नाम।
2. वाद-पत्र का शरीर।
3. दावा किया गया अनुतोष।

प्रतिवाद-पत्र- प्रतिवाद पत्र या लिखित कथन से तात्पर्य उस पत्र से है जो प्रतिवादी की ओर से वाद-पत्र के उत्तर में भेजा जाता है। व्यावहारिक रूप मे प्रत्येक

UNITEDSECULARSOCIETY

वाद के विषय में प्रतिवाद-पत्र पेश किया जाता है। इसे जवाब दावा भी कहते हैं। वादी जो दावा करता है, उसका एक लिखित जवाब प्रतिवादी को अपने बचाव में न्यायालय में निश्चित समय के भीतर दाखिल करना होता है। प्रतिवादी का लिखित कथन ही उसके मुकदमें की उसकी ओर से ढाल होती है और उसी से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पक्षों के बीच विवाद की क्या सीमाएं हैं।

प्रतिवाद-पत्र के आवश्यक अंग—

प्रतिवाद-पत्र के अग्रलिखित दो भाग होते हैं—

1. प्रतिवाद-पत्र का शीर्षक और नाम ।
2. प्रतिवाद-पत्र का शरीर।

UNITED SECULAR SOCIETY

अभिवचन की परिभाषा —

अभिवचन वे लिखित कथन होते है जो किसी वाद या कार्यवाही के द्वारा प्रस्तुत किए जाते है। उनमे वे सभी तथ्य दिए जाते है, जो वाद की सुनवाई के समय उठाए जाते है। इसमे पक्ष उन सभी विवरणो को प्रस्तुत करता है, जिनको विरोधी पक्ष का जानना आवश्यक है ताकि वह उनके उत्तर देने के लिए अपने मामले मे तैयार रहे। अभिवचन की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है —

आर्जस के अनुसार — "अभिवचन प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए ऐसे कथन होते है, जिनमे वह उल्लेख करता है कि मुकदमें के परीक्षण मे उसके क्या अभिवचन होंगे। इन कथनो मे वह उन सब विवरणों को प्रस्तुत करता है, जो इसके विपक्षी के लिए उत्तर मे अपना मामला तैयार करने के लिए आवश्यक हो।"

पी०सी० मोघा के अनुसार — अभिवचन ऐसे कथन होते है,

UNITED SECULAR SOCIETY

जो किसी मामले के प्रत्येक पक्ष द्वारा लिखे तथा तैयार किए जाते हैं। इनमे इस बात का कथन किया जाता है कि परीक्षण में उसका क्या अभिवचन होगा और उसमे ऐसी सब बातो का विवरण रहेगा जो दूसरे पक्षकारों को अपना मामला तैयार करने के लिए आवश्यक हो।

दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश-6 के अनुसार

अभिवचन से तात्पर्य वाद-पत्र तथा लिखित कथन से है। अतः अभिवचन के अंतर्गत मुख्य रूप से दो वस्तु शामिल हैं।

अभिवचन के मूलभूत सिद्धांत

1. केवल तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए, विधि का नहीं।
2. केवल सारवान तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए
3. तथ्यों का ही वर्णन किया जाना चाहिए साक्ष्य का नहीं।
4. अभिवचन संक्षेप, यथार्थ और निश्चित होना चाहिए
5. अभिवचन धाराओं मे बांटा जाना चाहिए।
6. अभिवचन पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
7. अभिवचन का सत्यापन होना चाहिए।

UNITED SECULAR SOCIETY

शपथ-पत्र का अर्थ — शपथ-पत्र का अर्थ ऐसे लिखित कथन से होता है, जिसे शपथ लेकर किसी प्राधिकारी के सामने किया गया हो। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश, 19 नियम 3 के अनुसार वाद मे इस्तेमाल आने वाले शपथ-पत्र को छोड़कर बाकी सभी शपथ-पत्रो मे केवल ऐसे तथ्यो को ही लिखा जाना चाहिए जिसे शपथग्रहीता निजी ज्ञान पर सिद्ध कर सके तथा बाद में उपभोग आने वाले शपथ-पत्रों के विश्वास पर आधारित कथन को भी गृहण कर सकता है, किन्तु विश्वास को ग्रहण करने के कारण का भी कथन करना जरूरी है।

UNITED SECULAR SOCIETY

प्रलेख शास्त्र का अर्थ — कोई व्यक्ति अपने साम्पत्तिक अधिकारो को विभिन्न प्रकार से अंतरित कर सकता है। उदाहरण — विक्रय, पट्टे, दान आदी के विलेखो द्वारा तथा इन्ही विलेखो एवं दस्तावेजो के लिखने को प्रलेखन कहते है।

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 2(10) के अनुसार हस्तान्तरण लेखन से तात्पर्य एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को

चल या अचल सम्पत्ति के अंतरण से है।

विलेख का अर्थ – कोई भी दस्तावेज जिसके द्वारा अधिकारों के अंतरण की कार्यवाही की जाती है, विलेख कहलाता है। विलेख अंतरण का एक साक्ष्य होता है।

वसीयत की परिभाषा – वसीयत किसी व्यक्ति की लिखित या मौखिक घोषणा है, जिसके द्वारा वह अपनी सम्पत्ति की मृत्यु के पश्चात् व्यवस्था की इच्छा करता है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-3 के अनुसार – वसीयत से तात्पर्य अपनी सम्पत्ति के सम्बंध में वसीयतकर्ता के आशय की उस वैधानिक घोषणा से है जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद लागू करने की इच्छा करता है।

UNITED SECULAR SOCIETY

PLAINT

Draft a plaint claming damages for malicious prosecution.

न्यायालय सिविल जज,
जूनियर डिविजन,
दिल्ली।
वाद संख्या 0101 सन् 2015
रामकुमार पुत्र श्री हरी सिंह
निवासी - जाकिर नगर
दिल्ली। - - - वादी।
बनाम
दिनेश कुमार पुत्र श्री बृजलाल शर्मा
निवासी - म०न० 25 दरियागंज
दिल्ली।
प्रतिवादी।

UNITED SECULAR SOCIETY

वादी निम्न अवेदन करता है -

1. यह है कि तारीख 15-2-14 को प्रतिवादी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह परिवाद दाखिल किया था कि वादी ने प्रतिवादी की कलाई की घड़ी को लूट लिया।

2. यह कि उस परिवाद के परिणामस्वरूप वादी की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी किया

गया और वादी को गिरफ्तार कर लिया गया।

3. यह है कि गिरफ्तारी के बाद वादी को 22 घंटे तक पुलिस अभिरक्षा में और उसके बाद कारागार में डाल दिया गया।

4. यह है कि एक चिरस्थ विचारण के बाद वादी को लूट के आरोप से तारीख 17-2-14 को दोषमुक्त कर दिया गया और न्यायालय का निष्कर्ष था कि परिवाद मिथ्या था।

5. यह कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध बिना किसी कारण के और विद्वेष के कारण परिवाद किया था।

6. यह है कि उपयुक्त अभियोजन के कारण वादी को बहुत आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तनाव झेलना पड़ा। उसको अपने कारोबार से भी अनुपस्थित रहना पड़ा। उसको अपने पड़ोसियो मित्रो और सम्बंधियो की दृष्टि में नीचा देखना पड़ा और उक्त मामले में अपनी प्रतिरक्षा हेतु खर्च भी करना पड़ा।

क्षति का विवरण

1.	व्यापार की क्षति	1000
2.	वकील को दी गई फीस	200

UNITED SECULAR SOCIETY

3. उक्त वाद का खर्च — 200
4. मानसिक व शारीरिक हानि 1000

कुल योग 2400

7 यह है कि वाद के लिए वाद हेतुक 17-2-14 को ज्ञात हुआ, जब वादी को दोषमुक्त कर दिया गया है।

8. यह है कि वादी का अभियोजन दिल्ली में हुआ था और प्रतिवादी इस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है।

9. यह है कि न्याय शुल्क व अधिकारिता के प्रयोजन के लिए इस वाद का मूल्यांकन किया जाए।

UNITED SECULAR SOCIETY

अनुतोष

1. उसको शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिए तथा ख्याति की हानि के लिए 2800/ साधारण नुकसानी के रूप में दिलवाया जाए।

2. उसको 2400/- रुपए विशेष नुकसानी के रूप में दिलवाया जाए।

3. वाद कालीन और उसके वाद के लिए ब्याज दिलवाया जाए।

सत्यापन :-

मैं रामकुमार स्वयं द्वारा यह सत्यापित करता हूँ कि उपयुक्त वाद के पेराग्राफ 1-5 की विषय वस्तुएं मेरी निजी ज्ञान के आधार पर सत्य है। और पेराग्राफ 6-8 तक की विषय वस्तुएं मुझको दी गई जानकारी पर अति विश्वास के आधार पर सही एवं सत्य है।

मैंने इस सत्यापन पर अपने हस्ताक्षर दिल्ली स्थान पर 17-02-14 को कर दिया है।

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

हस्ताक्षर
वादी

UNITED SECULAR SOCIETY

Draft a plaint for the recovery of money on the basis of promissory note.

न्यायालय सिविल जज,
साकेत, दिल्ली
वाद संख्या ... सन् 2015

रमेश कुमार पुत्र श्री राजकुमार
मकान न० - 38
मुनिरका, दिल्ली
---- वादी

बनाम

महेश कुमार पुत्र श्री बृजमोहन सिंह
मकान न० - 68
मुनिरका, दिल्ली
---- प्रतिवादी

UNITED SECULAR SOCIETY

वादी निम्न निवेदन करता है:

1. यह कि प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 01-05-2013 को 5000/रु० कारोबार के लिए तथा मांगने पर अदा कर देने के वायदे के स्वरूप दिल्ली में कर्ज लिए और ब्याज 2 रुपया सैकड़ा प्रतिमाह

देना तय हुआ और उसी रोज प्रतिवादी ने रुक्का व रसीद नियमानुसार वादी के हक मे लिख दिया जो इस वाद-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

2. यह कि प्रतिवादी ने अनेक तकाजो व नोटिसो के बावजूद भी न तो एक पैसा ब्याज मे और न मूलधन में अदा किया। अतः वादी को दावा दायर करने के लिए विवश होना पड़ा।

3. यह कि प्रतिवादी के जिम्मे 5000/-रु० असल, 3600/रु० ब्याज व 300 रु० खर्चा नोटिस, कुल 8900/रु० वादी के प्रतिवादी पर देय है।

4. यह कि वाद का वाद कारण दिनांक 01-5-2013 को कर्जा लेने तथा रसीद लिखने के दिन मेरठ मे इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे पैदा हुआ तथा इस न्यायालय को इस वाद को सुनने का अधिकार है।

5. यह कि वाद का मूल्यांकन 8900/-रु० पर किया गया और उस पर आवश्यक न्यायालय शुल्क अदा कर दिया।

UNITED SECULAR SOCIETY

अतः वादी प्रार्थना करता है कि -

(अ) यह कि 8900/- रु० इस वाद का मय सूद कानूनी दर के दौरान व आइन्दा की डिक्री वादी के हक मे, प्रतिवादी के खिलाफ पारित की जाए।

(ब) यह कि वादी के हक मे प्रतिवादी के खिलाफ पारित की जाए।

(स) यह कि कोई और अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रतिवादी से दिलाई जाए।

हस्ताक्षर
रमेश कुमार
(वादी)

हस्ताक्षर
एडवोकेट

मैं रमेश कुमार सत्यापित करता हूँ कि वाद-पत्र के पैरा न० 1, 2, 3 की अन्तर्वस्तु मेरे निजी ज्ञान मे सत्य है और पैरा न० 4 व 5 मेरे कानूनी सलाहकार के अनुसार सत्य है, जिनका मैं सत्य होना मानता हूँ।

आज दिनांक 02-3-15 को मेरठ मे सत्यापित किया गया है।

हस्ताक्षर
रमेश कुमार
(वादी)

UNITED SECULAR SOCIETY

Draft a plaint for damages on account of rash and negligent driving.

न्यायालय सिविल जज,
तीसहजारी कोर्ट,
दिल्ली।
वाद संख्या.... सन-2015
गुरप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह
मकान न०-2 अशोक नगर
दिल्ली

--- वादी

बनाम
रवि शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा
मकान न०-8 मॉडल टाउन
दिल्ली

--- प्रतिवादी

वादी निम्न कथन करता है:-

1. वादी टी० वी० रिपेयरिंग का कार्य दिल्ली मे करता है और प्रतिवादी में दिल्ली मे चावल का व्यापारी है।

2. दिनांक - 15-01-2015 को लगभग 2बजे दोपहर

UNITED SECULAR SOCIETY

मे वादी दिल्ली मे अशोक नगर के चौराहे पर दक्षिण की ओर जा रहा था, उसे कस्तूरबा हॉस्पिटल के सामने वाली गली पार करनी थी, जो कि अशोक नगर चौराहे से समकोण पर मिलती है।

3. यह कि वादी उस गली को पार ही कर रहा था कि उससे ठीक पहले दूसरी ओर से आने वाले पैदल पथ पर मारुति वैन प्रतिवादी की गाड़ी जो कि प्रतिवादी के सेवकों के नियंत्रण में थी, अचानक बिना किसी चेतावनी के बड़ी तेजी से आई और वादी से टकराई, जिससे वादी निचे गिर गया और वादी का पैर गाड़ी से कुचल गया।

4. टक्कर लगने और गिरने से पांव की हड्डी टूट गई और काफी चोट लगी। कुछ आंतरिक चोटे भी आई। इसके परिणामस्वरूप वादी 3 महिने तक रोग ग्रस्त रहा और कष्ट भोगता रहा तथा अपने कारोबार की देखभाल करने में असमर्थ रहा, उसे चिकित्सालय और अन्य व्यय उपागत करने पड़े तथा उसे कारोबार और लाभो की हानि उठानी पड़ी।

5. यह कि वाद के लिए हेतुक दिनांक 15-01-2015

को तब हुआ जब दुर्घटना घटित हुई।

6. यह कि दुर्घटना स्थल अशोक नगर चौराहा इस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमा के अंतर्गत आता है।

7. यह कि अधिकारिता और न्याय शुल्क के प्रयोजन के लिए इस वाद का मूल्यांकन 2000/रु० किया गया है।

<u>अनुतोष</u> : (i) उसके पक्ष मे 2000/रु० की डिक्री पारित की जाए।

विशेष नुकसानी के विवरण

विशेष औषधि के लिए व्यय	200.00
चिकित्सालय कक्ष में कमरे मे किराया	100.00
भोजन और अतिरिक्त पोषाहार	200.00
तीन माह तक के वेतन का नुकसान	900.00
योग =	1400.00
साधारण नुकसानी	600.00
कुल योग	2000.00

(ii) यह कि वाद कालीन समय और भविष्य के लिए ब्याज भी दिलवाया जाए।

UNITED SECULAR SOCIETY

सत्यापन :-

मैं गुरप्रीत सिंह यह सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त वाद पत्र के पैरा ग्राफ एक से चार तक में जो भी तथ्य लिखे गए है, वह मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य है और पैरा ग्राफ छः से आठ तक में जो भी विषय वस्तुएं समाविष्ट है मुझे प्राप्त जानकारियों के विश्वास के आधार पर सही है। मैंने इस सत्यापन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

सत्यापित किया गया 1 जनवरी 2015

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

हस्ताक्षर
वादी

UNITED SECULAR SOCIETY

WRITTEN STATEMENT.

Draft a Written Statement in suit for rash and negligent Driving.

न्यायालय सिविल जज,
तीस हजारी न्यायालय,
नई दिल्ली।
मूल वाद संख्या ---- सन 2015

गुरप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह,
निवास - मकान न० 25 अशोक नगर,
दिल्ली।
---- वादी

बनाम
रवि शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा,
निवास - मकान न० 6,
मॉडल टाउन,
दिल्ली।
---- प्रतिवादी

UNITED SECULAR SOCIETY

प्रतिवाद पत्र :-

1. प्रतिवादी इस कथन से इंकार करता है कि वाद-पत्र की धारा-2 में वर्णित मोटर गाड़ी थी और वह प्रतिवादी के ड्राईवर के भार

साधन या नियंत्रण में थी, कथित मोटर गाड़ी
स, द एण्ड कम्पनी, किराए पर मोटर गाड़ी
चलाने वाली कम्पनी के स्वामियों की थी
उनका नौकर चला रहा था और जिसे प्रतिवादी
ने किराए पर अशोक नगर से कश्मीरी गेट
तक जाने के लिए लिया था।

2. प्रतिवादी को यह स्वीकार नहीं है कि उक्त
मोटर घण्टाघर चौराहे पर उपेक्षापूर्ण अचानक
या बिना चेतावनी दिए तेजी से मुड़ी थी।

3. यदि प्रतिवादी या उक्त ड्राइवर असावधान भी
था जिसका प्रतिवादी इंकार करता है, तो भी
प्रतिवादी का यह कथन है कि वादी स्वयं
अंशदायी असावधानी का दोषी है।
धारा 2 में वर्णित घटनाओं के तुरन्त
पहले बिना इस बात को देखे या समझे कि
सड़क पर किस गति से ट्रैफिक चल रहा
है, जबकि प्रतिवादी की मोटर केवल तीन
गज पीछे थी, वादी सड़क पर पड़ी किसी
चीज को उठाने के लिए रुक गया।

4. प्रतिवादी का कहना है कि यदि वादी स्वयं
तर्कसंगत सावधानी का प्रयोग करता तो
वह उक्त मोटर को अपनी ओर आते देख

UNITED SECULAR SOCIETY

सकता था और उसकी किसी टक्कर से बच सकता था।

5. प्रतिवादी धारा -3 के कथनो से इंकार करता है।

6. यह है कि पहरा ग्राफ 6 और 7 अस्वीकार किए जाते हैं।

विशेष कथन

(क) वादी का कोई वाद का कारण उत्पन्न नही हुआ।

(ख) वादी का वाद निरस्त किए जाने योग्य है। और प्रतिवादी से धारा 35 A C.P.C के द्वारा खर्चा दिलाया जाए।

UNITED SECULAR SOCIETY

सत्यापन:

मैं प्रतिवादी आज दिनांक 30-2-15 को स्थान दिल्ली मे सत्यापित करता हूं कि पैरा एक से चार तक मेरे ज्ञान मे सही है।

दिनांक
30-2-15

हस्ताक्षर
प्रतिवादी

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

Draft o Written statement for malicious prosecution.

न्यायालय सिविल जज,
दिल्ली ।

मूल वाद संख्या .... सन् 2015

किशन कुमार पुत्र श्री रामवीर शर्मा
निवासी मकान न० -2
जाकिर हुसैन नगर
दिल्ली

---- वादी

बनाम

दिनेश कुमार पुत्र श्री बृजलाल शर्मा
निवासी मकान न० 85 दरियागंज
दिल्ली

---- प्रतिवादी

UNITED SECULAR SOCIETY

प्रतिवाद पत्र

1. यह कि वाद-पत्र के पैरा न० 1 से 5 तक की अंतर्वस्तु स्वीकार नही है।

2. यह कि वाद-पत्र के पैरा 6 की अंतर्वस्तु वैधानिक होने के कारण स्वीकार या अस्वीकार करने की आवश्यकता नही है।

3. यह कि वाद-पत्र के पैरा न० 8 की भी विषय वस्तु स्वीकार करने की आवश्यकता नही है।

विशेष कथन

4. यह कि प्रतिवादी इस बात से इंकार करता है कि उसके द्वारा वादी के खिलाफ लगाया गया आरोप मिथ्या था या बिना विद्वेषपूर्ण था।

5. यह कि वादी द्वारा मांगी गई धनराशि बहुत अधिक तथा असत्य है। वह कोई धन राशि पाने का अधिकारी नहीं है।

6. यह कि वादी का दावा खारिज किए जाने योग्य है।

सत्यापन -

मै प्रतिवादी सत्यापित करता हूँ कि प्रतिवाद पत्र के पैरा न०. 1 से 6 तक की अंतर्वस्तु मेरे निजी ज्ञान मे सत्य है।

दिनांक
3-3-15

हस्ताक्षर
प्रतिवादी

स्थान - दिल्ली

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

AFFIDAVIT

Draft a affidavit for Interlocutory order.

न्यायालय सिविल जज,
तीस हजारी न्यायालय,
दिल्ली।

शपथ-पत्र

विकास शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा
निवासी अशोक नगर
दिल्ली

की ओर से वादी शपथपूर्वक निम्न निवेदन करता है,

1. यह है कि वादी / शपथकर्ता ने स्थायी निषेधाज्ञा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे उसे पूर्ण आशा है जीतने की है।

2. यह है कि शपथकर्ता विवाद ग्रस्त सम्पत्ति (प्लॉट) जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। और इस सम्पति पर बैनामे की तारीख से आज तक शपथकर्ता का ही कब्जा है। वादी ने इस सम्बंध में बैनामा अलग से प्रस्तुत किया है।

UNITED SECULAR SOCIETY

3. यह है कि वादी उपरोक्त सम्पत्ति से बल-पूर्वक बेदखल किया जाता है, तो उसके अधिकारों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: वादी के पक्ष में स्थिरता मदद करेगा।

4. यह है कि वादी को यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही की जाती है, तो उसे अपूर्णनीय क्षति हो सकती है, जिसकी पूर्ति पैसे से नही की जा सकती।

5. अत: उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय से प्रार्थना की जाती है कि वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध मुकदमें में विचाराधीन रहने तक दिया जाए, जिससे कि प्रतिवादी या उसके अधिकर्ता वादी के कब्जे में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें।

मैं शपथ कर्ता आज दिनांक 02-03-15 स्थान दिल्ली में सत्यापित करता हूँ कि पैरा न० 1 से 4 तक मेरे निजी ज्ञान में कानूनी रूप से सही है।

दिनांक
02-03-15

शपथकर्ता
विकास शर्मा

हस्ताक्षर
नोटरी अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

Draft U/S 151 C.P.C for Setting aside an expaste Order.

न्यायालय श्रीमान सिविल जज,
सीनियर डिविजन
दिल्ली।
मु० न०---- सन 2015

दिनेश शर्मा पुत्र लाल सिंह
निवास- 35 ज्योति नगर
दिल्ली
---- वादी

बनाम
सुधीर सिंह पुत्र रंजीत सिंह
निवास, 305 विनोद नगर
दिल्ली।
---- प्रतिवादी

शपथ-पत्र सुधीर सिंह पुत्र रंजीत सिंह आयु 42 वर्ष निवासी, विनोद नगर दिल्ली।

शपथकर्ता निम्नलिखित कथन करता है :-

1. यह कि मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि मेरा नाम सुधीर सिंह पुत्र रंजीत सिंह, मेरी आयु 42 वर्ष तथा मेरा निवास 305 विनोद नगर

UNITED SECULAR SOCIETY

दिल्ली है।

2. यह कि मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि मैं उक्त वाद का प्रतिवादी होने के कारण वाद के तथ्यों से परिचित हूं।

3. यह कि मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि उक्त वाद में दिनांक 3-3-15 सुनवाई के लिए नियत थी। किन्तु प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण वाद एकपक्षीय डिक्री हो गया है।

4. यह कि मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि उक्त दिनांक को मैं अचानक बीमार हो गया था जिस कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका।

5. यह कि मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि मैंने जानबूझकर कोई त्रुटि नहीं की है।

6. यह कि मैं शपथपूर्वक कहता हूं मेरी उपयुक्त घोषणा सत्य है और कुछ भी नहीं छिपाया गया है और न इस शपथ-पत्र का कोई भाग झूठ है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक
4.4.15

हस्ताक्षर
सुधीर सिंह
(शपथकर्ता)

UNITED SECULAR SOCIETY

Draft a affidavit execution Petition

न्यायालय सिविल जज,
तीस हजारी न्यायालय
दिल्ली।

शपथ-पत्र

धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र श्री मुंशीलाल वर्मा की सम्पत्ति का स्वअर्जित होना और उसका किसी ऋण भार से मुक्त होना।

मैं धर्मेन्द्र वर्मा आयु 45 वर्ष पुत्र मुंशीलाल वर्मा निवासी दिल्ली शपथ लेता हूँ और निम्नवत बयान करता हूँ।

1. यह कि मैंने कृषि की फर्म को दिल्ली शहर में अपनी स्वयं की स्वअर्जित धनराशि से और अपने स्वयं के प्रयास से जिसमें किसी अन्य की कोई भी सहायता नही ली और संयुक्त परिवार अथवा पैतृक सम्पत्ति की मदद या उनके किसी उपयोग के बिना प्रारम्भ किया था।

2. यह कि उपर्युक्त फर्म के लाभो से मैंने प्लाट विनय शर्मा से एक विक्रय विलेख के

UNITED SECULAR SOCIETY

अंतर्गत खरीदा था, जिसे विनय शर्मा ने मेरे पक्ष में निष्पादित किया था और जो दिल्ली के उपरजिस्ट्री कार्यालय में तारीख 5-5-15 को बुक न० 1 Volume No-3 में Page No 45-46 तक में रजिस्टर्ड किया गया था।

3. यह कि उक्त प्लॉट का मैं एक मात्र सत्ता परम स्वामी हूँ और ऊपर वर्णित प्लॉट के सम्बंध में न ही कोई अंशधारक है और न ही कोई सह-भागीदार है। और यह है कि वह प्लॉट न ही पैतृक सम्पत्ति है। और न ही कोई ऐसी सम्पत्ति जिसे संयुक्त कुटुम्ब की निधियों से खरीदा गया हो, अतः वह मेरी स्वयं की स्वअर्जित सम्पत्ति है, और उस पर अंतरण का मेरा पूर्ण अधिकार है।

4. यह है कि उक्त प्लॉट किसी भी प्रकार के बंधक भार, कुर्की धारणाधिकार न्याय अथवा भार बंधक लोन आदी से मुक्त है। और विकास न्यास या किसी भी सरकार के भूमि अर्जन विभाग से किसी योजना द्वारा प्रभावित नही है।

UNITED SECULAR SOCIETY

5 यह है कि न ही मैंने ऐसा कोई कार्य या कोई कृत्य कीया है, जिससे मुझे उस प्लॉट को बेचने या अंतरित करने के लिए कोई व्यक्ति या रिश्तेदार मुझे रोक सके।

6. यह है कि मेरी यह घोषणा सत्य है और इसका कोई भी अंश असत्य या मिथ्या नहीं है और ऊपर नामांकित विषय वस्तु से प्रासंगिक या तात्विक किसी भी तथ्य को मैंने छुपाया नहीं है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

UNITED SECULAR SOCIETY

सत्यापन :- मैं शपथकर्ता आज दिनांक 08-07-15 को स्थान दिल्ली में सत्यापित करता हूँ कि पैरा न० एक से पांच तक मेरे ज्ञान में सब सत्य एवं सही है और यह है कि उसी शपथ-पत्र के पैरा न० छः की विषय वस्तुएं मेरे विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक – 08-07-15
स्थान – दिल्ली

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

हस्ताक्षर
नोटरी अधिवक्ता

MEMORANDUM OF APPEAL

Draft a memorandum of Appeal.

न्यायालय सिविल जज,
तीस हजारी न्यायालय,
नई दिल्ली।
अपील संख्या 585/2015 सन 2015

विवेक शर्मा पुत्र श्री राम शर्मा
निवासी - 25 सिविल लेन
दिल्ली।
--- वादी (अपील कर्ता)

बनाम

गणेश शर्मा पुत्र तोता राम शर्मा
निवासी, 25/8 कमला नगर
दिल्ली।
---- प्रतिवादी

अपील इस डिक्री और डिक्री धारक के विरुद्ध दिनांक 12-3-14 न्यायालय सिविल जज, तीसहजारी कोर्ट दिल्ली जो की वाद संख्या 105 सन 2010 में पारित की गई थी।

UNITED SECULAR SOCIETY

आधार :-

1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों और जुबानी साक्ष्य के विरुद्ध निष्कर्ष निकालते हुए वादी के पक्ष में निर्णय किया जो निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह है कि निचली अदालत ने गलत वाद बिन्दु बनाकर सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर डाल दिया, जबकि विधि के अनुसार यह भार वादी पर था।

3. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना बहस या साक्ष्य के यह निष्कर्ष निकाल दिया कि रुक्का पर प्रतिवादी की निशानी अंगूठा है, यदि वादी विशेषज्ञ की राय लेता तो, स्पष्ट हो जाता कि उस पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं है, और इस प्रकार दिया गया निर्णय गलत व अन्यायपूर्ण है। अतः निर्णय निरस्त करने योग्य है।

4. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय तथ्य विधि के विरुद्ध है। अतः निरस्त किए जाने योग्य है।

UNITED SECULAR SOCIETY

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आज्ञप्ति को निरस्त किया जाए तथा वादी का वाद खण्डित किया जाए और इस अपील का खर्चा भी अपील कर्ता को दिलाया जाए

दिनांक - 08-07-15
स्थान - दिल्ली

हस्ताक्षर
अपीलकर्ता

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

Draft a memorandum of appeal in form a paper suit.

न्यायालय सिविल जज,
पटियाला हाउस,
दिल्ली।

अपील संख्या 105/2015 सन् 2015

सत्यप्रकाश पुत्र श्री रामदीन
निवासी, 85 शकरपुर
दिल्ली
--- वादी (अपीलकर्ता)

बनाम

मोहन सिंह पुत्र उपकार सिंह
निवासी 28/585 लक्ष्मी नगर
दिल्ली।
---- प्रतिवादी

निर्णय अपील संख्या 102 वर्ष 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 44 नियम 1 के अंतर्गत वादी अपील कर्ता निम्न निवेदन करता है।

UNITED SECULAR SOCIETY

1. यह है कि आवेदन कर्ता के पास इतनी पर्याप्त राशि या साधन नही है कि वह इस आवेदन के साथ, आवेदन शुल्क संलग्न कर सके।

2. यह है कि वादी ने प्रथम बार न्यायालय मे अकिंचन के रूप मे वाद करने के लिए आवेदन किया है।

3. यह कि वादी को अकिंचन के रूप में वाद करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी, उसके साथ एक अनुसूची उसके संकलित मूल्य के साथ यहां संलग्न की जा रही है:.

अनुसूची

क्र०संख्या	सम्पति विवरण	अंकलित मूल्य
1.	स्थावर सम्पति	5000.00 रू०
2.	जंगम सम्पति	5000.00 रू०
3.	विधि शुल्क	2000.00 रू०

कुल योग - 12,000.00

UNITED SECULAR SOCIETY

4. अतः यह प्रार्थना की जाती है कि अपील कर्ता को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 44 नियम 1 के अंतर्गत एक अकिंचन व्यक्ति के रूप में अपील करने की अनुमति प्रदान की जाए।

<u>सत्यापन</u> :

मैं वादी अपीलकर्ता आज दिनांक 08-05-15 को स्थान दिल्ली में सत्यापित करता हूँ कि पैरा न० एक से चार तक मेरे निजी ज्ञान में सत्य है।

दिनांक - 08-05-15
स्थान - दिल्ली

हस्ताक्षर
वादी
(अपीलकर्ता)

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

MEMORANDUM OF REVISION

Draft a memorandum of Revision.

माननीय उच्च न्यायालय
दिल्ली।
पुनरीक्षण सं० ---- सन् 2015
(अंतर्गत धारा 115 C.P.C)

सोहन पुत्र रामसिंह
निवासी 85, दिलशाद गार्डन
दिल्ली।
---- आवेदक

बनाम
(i) रवि शर्मा पुत्र रमेश शर्मा
2, साकेत, दिल्ली।
(ii) नीरज सिंह पुत्र मनोज सिंह
5 साकेत, दिल्ली।
---- प्रतिपक्षीगण

माननीय मुख्य न्यायालय और उनके सभी न्यायाधीशों के समक्ष।

दिनांक 25-02-15, वाद संख्या 486 सन् 2015 बनाम रवि शर्मा आदि के विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर निवेदन किया जाता है।

वाद का मूल्यांकन - 10,000 रु०
न्यायालय शुल्क जो अदा किया गया - 500रु०

पुनरीक्षण के अंतर्गत धारा 115 C.P.C के विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-01-14 जो अपील संख्या - 175 मे श्रीमान जिला न्यायाधीश दिल्ली द्वारा वाद संख्या 486 मे श्रीमान सिविल जज दिल्ली के निर्णय की डिक्री दिनांक 05-09-14 को निरस्त करते हुए, पारित किया जो कोई आधारो मे से निम्नलिखित प्रमुख आधारो पर प्रस्तुत है :-

UNITED SECULAR SOCIETY

आपत्ति के आधार :-

1. क्योंकि पुनरीक्षण कर्ता इस वाद मे प्रतिवादी था जिसे सिविल जज दिल्ली के न्यायालय मे संस्थित किया गया था, उपरोक्त वाद एक क्षेत्र भूमि के सम्बंध मे निषेधाज्ञा के लिए था।

2. क्योंकि सिविल जज दिल्ली द्वारा पुनरीक्षण प्रतिवादी को प्रारम्भिक अपील पर वादी के प्रति क्रर दावा का वाद निरस्त कर दिया गया कि उक्त वाद क्योंकि अपर अपीलीय न्यायालय मे सिविल जज दिल्ली के आदेश

एवं डिक्री को उलट दिया ।

3. क्योंकि विधि में कोई भी अपीलीय न्यायालय के आदेश एवं डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होती, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने विधि द्वारा दिए गए क्षेत्राधिकार से अलग अपना आदेश पारित कर दिया ।

अत: श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अपर न्यायालय के अभिलेखो को मंगाकर अपीलीय न्यायालय के निर्णय का पुनरीक्षण करके सिविल जज दिल्ली के निर्णय एवं डिक्री को पुन: स्थापित किए जाने की कृपा करें । एवं समस्त न्यायालयों के हर्जाने एवं खर्चे प्रदान करने की कृपा करें ।

दिनांक - 08.07-15 प्रार्थी के हस्ताक्षर
स्थान - दिल्ली

UNITED SECULAR SOCIETY

PETITION UNDER ARTICLE-226

Mandamus Writ

न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय,
नई दिल्ली।
प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या...सन-15

रजत शर्मा पुत्र ओमपाल शर्मा
निवासी-35/5 उत्तम नगर
दिल्ली। ----- पिटिशनर/प्रार्थी

बनाम

1. दिल्ली सरकार .... प्रतिपक्षी
2. जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली... प्रतिपक्षी

(प्रार्थना-पत्र अंतर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान)

सेवा मे,
माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं खण्डपीठ उच्च न्यायालय दिल्ली।

उक्त पिटिशनर की ओर से विनम्र याचिका निम्न प्रकार है:..

UNITED SECULAR SOCIETY

1. यह कि याचिका कर्ता मकान न० 482, पांगलोई दिल्ली का मालिक है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रह रहा है।

2. यह कि दिनांक 10-2-2015 को जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली ने अस्थायी एकोमोडेशन एक्ट 1947 की धारा 3 के अंतर्गत एक आदेश पारित किया जिसके अनुसार पिटिशनर को 16 दिन के अंदर उक्त मकान का कब्जा कलेक्ट्रेट को देने को कहा गया तथा कथित आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि पिटिशन के साथ संलग्न है।

UNITED SECULAR SOCIETY

3. यह कि जिला मजिस्ट्रेट ने पिटिशनर को न तो कोई वैकल्पिक निवास स्थान रहने के लिए दिया है और न ही कोई अन्य उपयुक्त वैकल्पिक निवास स्थान पिटिशनर की आवश्यकता के लिए विद्यमान है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उपलब्ध कराना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है।

4. यह कि पिटिशनर को मकान खाली करने के उक्त आदेश के कारण बहुत ही परेशानी एवं असुविधा है।

5. यह कि पिटिशनर के पास उच्च न्यायालय का

दरवाजा खटखटाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक, प्रभावी एवं शीघ्रता का उपाय क्षतिपूर्ति की प्राप्ति का नहीं है।

6. यह कि उक्त निवास स्थान की मांग का आदेश अवैध एवं क्षेत्राधिकारहीन है, क्योंकि उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3 में वर्णित पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।

7. यह कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पिटिशनर के निवास स्थान की मांग तब तक न्यायोचित नहीं है जब कि वह पिटिशनर को उपयुक्त वैकल्पिक निवास स्थान उपलब्ध नहीं करता है। पिटिशनर की ऐसी मांग करने के बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट ने कोई ध्यान नहीं दिया।

<u>अतः प्रार्थना है कि :-</u>

(क) प्रतिपक्षियों के खिलाफ प्रतिषेध की प्रकृति का एक समादेश आदेश या निर्देश इस आशय से जारी किया जाए कि प्रार्थी को उक्त आदेश के रहते उसके मकान से बेदखल न करें।

(ख) प्रतिपक्षियों के खिलाफ परमादेश की प्रकृति का एक समादेश आदेश या निर्देश इस

UNITED SECULAR SOCIETY

आशय से जारी किया जाए कि उक्त आदेश के अंतर्गत पिटिशनर का मकान लिया जाना आवश्यक हो तो उसे वैकल्पिक निवास स्थान प्रदान करे।

(ग) पिटिशनर को पिटिशन का खर्च दिलाया जाए।

दिनांक - 08-04-2015
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
(पिटिशनर कर्ता)

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

PETITION UNDER ARTICLE-32
Habeas Corpus

न्यायालय उच्च न्यायालय
दिल्ली
रिट संख्या .... वर्ष 2015

अशोक कुमार पुत्र हरी सिंह
निवास - 35/2 लक्ष्मी नगर
दिल्ली
- ---- वादी
(पिटिशनर)

बनाम

दिल्ली पुलिस आयुक्त
साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट
दिल्ली
- --- प्रतिवादी

श्रीमान जी,
उपरोक्त वादी निम्नलिखित निवेदन करता है।

1. यह है कि वादी एक बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति है जो कि दिल्ली महानगर के गांधी मार्किट मे प्रतिष्ठित व्यवसायी है।

UNITED SECULAR SOCIETY

2. यह कि दिनांक 17-2-2015 को सायं 4 बजे थाना गांधी नगर दिल्ली के थानाध्यक्ष द्वारा एक महत्वपूर्ण काम बताकर उसे घर से बुलाया गया तथा उसके विरुद्ध बिना कोई अभियोग लगाए थाना गांधी नगर स्थित कारागार में बंद कर दिया गया।

3. यह है कि दिनांक 18-02-2015 को सुबह 5 बजे के लगभग जिला कारागार में पहुंचा दिया, जहां वह अब भी बंद है।

4. यह कि वादी ने एक याचिका दिल्ली के जिलाधिकारी को इस निवेदन के साथ दाखिल किया कि उसे उसकी गिरफ्तारी के आधारों को बताया जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सूचना नहीं भेजी है। उक्त याचिका इस याचिका के साथ लगा दी गई है।

5. यह कि वादी को बन्दी बनाना कई आधारों में से निम्नलिखित आधारों में संविधान के प्रति असंवैधानिक है:-

(i) यह कि अभियर्थी पर उसकी गिरफ्तारी की डिक्री या किसी दंडाधिकारी का आदेश नहीं दिया गया है।

UNITED SECULAR SOCIETY

(ii) यह कि वादी के विरुद्ध उसकी गिरफ्तारी का कोई भी आधार नहीं था और नहीं थाना गांधी नगर के प्रभारी द्वारा ऐसा कोई कारण दर्शाया गया।

(iii) क्योंकि वादी को अभी तक किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(iv) यह है कि थाना प्रभारी गांधी नगर वादी से इस कारण रंजिश मानता है कि वादी ने कुछ समय पूर्व अपने साथी व्यापारी के यहां हुई चोरी की रिपोर्ट न लिखे जाने व विवेचना न किए जाने की वजह से तथा गांधी नगर मार्किट संघ का सचिव होने के कारण एक बयान अखबार में दिया था जो दिनांक 18-01-2015 के अमर उजाला में प्रकाशित करवाया था, इसमें संलग्न कर दिया है।

(v) यह कि उक्त बयान के प्रकाशित होने के बाद अगले दिन दिनांक 19-01-2015 को थाना प्रभारी ने उसकी दुकान पर जाकर उसको धमकी दी कि उसका परिणाम गंभीर होगा। वादी की गिरफ्तारी उसकी धमकी का परिणाम है। अतः वादी माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना

UNITED SECULAR SOCIETY

करता है कि उसकी उस याचिका को दाखिल करते हुए, तथा स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई का आदेश पारित करते हुए Habeas Corpus की रिट जारी करने की कृपा करें।

दिनांक - 28-02-2015
स्थान - दिल्ली

हस्ताक्षर
वादी

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

NOTICE

Notice under Sec - 80 C.P.C.

कार्यालय अधिवक्ता
श्री राजन लाल शर्मा
कलेक्टर, दरियागंज
दिल्ली
दिनांक - 06-02-2015

सूचना

बनाम
दिल्ली राज्य सरकार

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सूचना-

अपने पक्षकार श्री रामजी लाल पुत्र श्री किशनलाल शर्मा निवासी दरियागंज जिला दिल्ली की ओर से आपको निम्न सूचना दी जाती है:-

1. यह कि मेरे पक्षकार का दरियागंज मे खसरा न०. 182 के अंतर्गत भूमि है, जिसका वह स्वामी है। जिस पर खेती करता चला आ रहा है।

2. यह कि दरियागंज से अजमेरी गेट को नया

UNITED SECULAR SOCIETY

मार्ग निकल रहा है जो कि सीमांकन के अनुसार मेरे पक्षकार के उपरोक्त खसरा मे होकर जाएगा।

3. यह कि मेरे पक्षकार की ली गई भूमि का अभी मुआवजा अदा नही किया जा रहा है और न मेरे पक्षकार की खेत की भूमि को अधिग्रहण लिया है।

4. यह कि मेरे पक्षकार का वाद का कारण दिनांक 04-02-2015 को मौके पर कर्मचारी द्वारा सीमांकन करने के दिन उत्पन्न हुआ।

5. यह कि मेरे पक्षकार को जमीन बिना अधिग्रहण किए और बिना उसके मुआवजे का भुगतान किए कोई अधिकार मेरे पक्षकार के खेत से होकर जबरन सड़क निकालने का नहीं है।

6. यह कि बिना मुआवजा दिए जबरन सड़क निकालने की धमकी के कारण मेरे पक्षकार को सक्षम न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु राज्य सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना हो गया है।

7. यह कि यदि सूचना की अवधि के दौरान बिना

UNITED SECULAR SOCIETY

मुआवजा दिए जबरन सड़क निकाल दी गई तो मेरे पक्षकार को मुआवजा की धनराशि व फसल का नुकसान प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद- दायर करने को बाध्य होना पड़ेगा।

अतः निर्धारित सूचना C.P.C की धारा 80 के अंतर्गत इस आशय से प्रेषित है कि बिना मुआवजा दिए मेरे पक्षकार के खेत में जबरन सड़क न निकाले, यदि सूचना की अवधि के दौरान मेरे पक्षकार के खेत में निर्माण कर दिया गया, तो मेरा पक्षकार सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करेगा। जिसके हर्जे व खर्चे के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

दिनांक 08-05-2015
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

COMPLAINT

श्रीमान सिविल न्यायालय,
तीस हजारी कोर्ट,
दिल्ली
वाद संख्या ---- सन 2015

सरकार
बनाम
कुलदीप सिंह पुत्र हरराम सिंह
निवासी - 35/10 आदर्श नगर
दिल्ली।

अंतर्गत धारा 323, 504, 506 - I.P.C.
धारा - 200 - C.P.C
थाना - आदर्श नगर
जिला - वेस्ट ईस्ट
दिल्ली।

श्रीमान जी

आरोप का परिवाद पेश करता है:

1. यह कि प्रार्थी कुलदीप सिंह निवासी 35/10 आदर्श नगर, थाना आदर्श नगर जिला वेस्ट ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है। उसके नाम और वलदीयत का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

UNITED SECULAR SOCIETY

2. यह कि घटना दिनांक 14.8.2014 समय दोपहर लगभग 2 बजे का है, जब प्रार्थी अपने खेत से आ रहा था, उसी समय अभियुक्त रामसिंह ने आकर रोका और कहने लगे कि बहुत बड़ा आदमी बनता है और गाली-गलौज करने लगे तथा प्रार्थी को हाथों पैरों से मारा और जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी के शोर मचाने पर गांव के बहुत से लोग आ गए, जिन्होंने प्रार्थी को हमलावरों से बचाया अन्यथा गम्भीर घटना घट सकती थी।

3. यह की साक्षी सोहन पुत्र मोहन जिन्होंने प्रार्थी को बचाया था।

4. यह कि प्रार्थी रिपोर्ट करने के लिए आदर्श नगर थाने गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उसे डांट फटकार के भगा दिया गया।

5. यह है कि प्रार्थी ने उस घटना की रिपोर्ट रजिस्ट्री से श्रीमान डी० सी० पी० वेस्ट ईस्ट डिस्ट्रिक्ट महोदय दिल्ली को दिनांक 20-8-14 को भेजी।

6. यह कि उपरोक्त घटना की थाने की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए श्रीमान जी

UNITED SECULAR SOCIETY

के समक्ष उपरोक्त तथ्यो के आधार पर परिवाद किया जाता है।

यह है कि

7 उपरोक्त वाद श्रीमान के अधिकार क्षेत्र मे है। तथा उन्हें सुनने का पूर्ण अधिकार है।

8. यह है कि उपरोक्त घटना धारा, 323, 504 506 भारतीय दण्ड विधि के अंतर्गत दण्ड कृत्य है।

प्रार्थना:-

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त वाक्यो से वाद साक्ष्य तलब करके अभियुक्त गण को दण्डित करने की कृपा करें।

दिनांक - 25-08-2014
स्थान - दिल्ली

हस्ताक्षर
प्रार्थी

UNITED SECULAR SOCIETY

CRIMINAL MISC - PETITION
Sec 378 (4) Cr. P. C.

श्रीमान उच्च न्यायालय
दिल्ली।
क्रि० पी० संख्या --- 500 वर्ष-2015

अशोक पुत्र रामतीरख
--- अपीलार्थी

बनाम
कैलाश पुत्र टेकचन्द
--- प्रतिवादी

विशेष अनुमति याचिका :-

संलग्न अपील के आधारों के ज्ञापन में दिए गए कारणों से अपीलार्थी प्रार्थना करता है कि यह माननीय न्यायालय द्वारा कृपा कर अपीलार्थी को पत्रावली पर क्रि० पी० सं० 500 में दिनांक 04-02-2015 के प्रतिवादी की रिहाई के आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति प्रदान करें।

माननीय न्यायालय की पत्रावली को लेकर उसे विधि के अनुसार निस्तारित करें।

UNITED SECULAR SOCIETY

तथा इस प्रकार अपीलार्थी को न्याय प्रदान करें।

दिनांक – 08-03-2015
स्थान – दिल्ली

हस्ताक्षर
अपीलार्थी

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

BAIL APPLICATION.

न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश,
तीस हजारी कोर्ट,
दिल्ली।
वाद संख्या ---- सन् 2015

सुशील कुमार पुत्र हरी सिंह
निवासी - 35/2 हरी नगर
थाना - हरी नगर
जिला - मध्य दिल्ली
---- प्रार्थी

बनाम

दिल्ली राज्य सरकार
---- उत्तरदायी

अंतर्गत धारा 302 I.P.C
थाना हरी नगर
दिल्ली

मुकदमा वाद संख्या-208/15

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 337 व 439 C.P.C प्रार्थी अभियुक्त निम्न निवेदन करता है :-

1. यह है कि प्रार्थी को उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है।

UNITED SECULAR SOCIETY

2. यह है कि संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 08-2-2015 को रात 10 बजे परिवादी का बड़ा भाई दुकान बन्द करके अपने घर जा रहा था कि कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिससे वह मौके पर ही गिर गया और हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई, मामले की रिपोर्ट परिवादी ने अज्ञात के खिलाफ थाने में दर्ज कराई।

3. यह कि घटना के दो दिन बाद जब पुलिस पकड़ने आई तो उसे और पता चला कि परिवादी ने धारा 161 के दण्ड प्रावधान संख्या के बयान में इसका नाम पुलिस को बताया है।

4. यह कि परिवादी ने प्रार्थी का नाम रंजिश के कारण झूठा बताया है, क्योंकि प्रार्थी ने प्रतिवादी की गुंडागर्दी व अवैध धन उगाही की प्रवृत्ति के बारे में लिखित शिकायत दिनांक 06-1-2015 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को की थी।

5. यह कि प्रार्थी का जमानत-पत्र श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिल्ली के न्यायालय से दिनांक 15-3-2015 को खारिज हो चुका है।

UNITED SECULAR SOCIETY

6. यह कि प्रार्थी के विरुद्ध इस अपराध में प्रमाणित होने का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। तथा कोई साक्ष्य भी नहीं है, घटना के दो दिन बाद प्रार्थी की गिरफ्तारी अपने आप में संदेह जनक है।

7. यह कि प्रार्थी नौकरी पेशा शांतिप्रिय व कानून प्रिय नागरिक है, और उसका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्रार्थी का किसी भी थाने में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

8. यह कि प्रार्थी का इसके अलावा अन्य कोई जमानत-पत्र भी न्यायालय अथवा उच्च-न्यायालय में नहीं है।

9. यह कि प्रार्थी न्यायालय में अपनी विश्वसनीय जमानत दाखिल करने को तैयार है। प्रार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा।

प्रार्थना :-

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को केस का निस्तारण होने तक जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश

UNITED SECULAR SOCIETY

पारित करने की कृपा करे।

<u>विशेष</u>:-
जमानत प्रार्थना-पत्र के बाद अभियुक्त की ओर से पेशकारी कर रिश्तेदार मित्र व परिचित का शपथ-पत्र भी दाखिल किया जाता है।

दिनांक. 04.03.15
स्थान - दिल्ली

हस्ताक्षर
प्रार्थी

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

ANTICIPATORY BAIL APPLICATION

न्यायालय श्रीमान जिला एवं
सत्र न्यायाधीश दिल्ली
'क' पुत्र 'ख' निवासी .... थाना ... जिला
...... पिटिशनकर्ता

बनाम
राज्य सरकार

अंतर्गत धारा .....
थाना ... जिला ....

प्रार्थना-पत्र अग्रिम जमानत अंतर्गत धारा 438
(दण्ड प्रक्रिया संहिता)

श्रीमान जी
पिटीशनकर्ता निम्न निवेदन करता है:

1. यह कि पिटीशन कर्ता के उपरोक्त मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु उक्त प्रार्थना-पत्र को प्रस्तुत किया है।

2. यह कि परिवादी ... द्वारा दिनांक ... की शाम ... बजे थाना ... पर एक अपराधिक मुकदमा संख्या ... दर्ज कराया गया, जिसके अनुसार परिवादी के गोदाम से 500 kg तांबे का तार

UNITED SECULAR SOCIETY

दिनांक ... को दोपहर अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया है और शहर में ही गला कर बर्तन बनाए जाने की आशंका है। प्रतिवादी के कहने पर थाने का पुलिस बल दिनांक ... पिटीशन के कारखाने पर आया और दो कारीगर को तांबे के बर्तन डालते हुए गिरफ्तार कर लिया। पिटीशनकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया जाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। परिवादी द्वारा दर्ज कराई गई F.I.R की प्रति सलग्न है।

3. यह कि पिटीशनकर्ता को इस मामले में पूर्ण रूप से निर्दोष है और उसने कोई अपराधिक कार्य नहीं किया है।

4. यह कि पिटीशनकर्ता की पीतल के बर्तन बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है वह इस हेतु कच्चा माल शहर के बाहर से ट्रांसपोर्ट द्वारा स्वयं मंगाता है।

5. यह कि पिटीशनकर्ता द्वारा मंगाए गए प्रत्येक माल की जांचकर बिक्रीकर अधिकारी द्वारा की जाती है, तब माल सही पाया गया। इस हालत में पिटीशनकर्ता को इस मामले में संक्षिप्त किया जाना दोषपूर्ण है।

UNITED SECULAR SOCIETY

6. यह कि पुलिस अधिकारी द्वारा जो माल चोरी का बताते हुए कर्क किया गया है वह दिनांक ... सील का चालान संख्या ... द्वारा रोडवेज मे ... बिल का चालान की फोटोस्टेट प्रति संलग्न है।

7. यह कि पिटीशनकर्ता एक बहुप्रतिष्ठित, शांतिप्रिय व कानून पसंद नागरिक है। वह जानबूझकर प्रतिवादी के द्वारा किया गया कार्य है, जिससे पिटीशनकर्ता की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए।

8. यह कि पिटीशनकर्ता के खिलाफ किसी भी थाने में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नही है। और न ही वर्तमान मे है।

9. यह कि पिटीशनकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा नही किया गया तो, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी तथा मानसिक व आर्थिक रूप से पीड़ित होना पड़ेगा।

प्रार्थना :- अत: श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए पिटीशनकर्ता को अग्रिम जमानत मंजूर करने की कृपा करे।

हस्ताक्षर
पिटीशनकर्ता

दिनांक 08-5-2015
स्थान - दिल्ली

हस्ताक्षर
अधिवक्ता

UNITED SECULAR SOCIETY

FIRST INFORMATION REPORT

सेवा मे,

श्रीमान थाना प्रभारी
हौस खास नई दिल्ली

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मै करन शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र पाल शर्मा निवासी हौस खास का रहने वाला हूं। मेरे ही गांव के विकास शर्मा पुत्र श्री सज्जन सिंह तथा रवि शर्मा पुत्र श्री प्रेम मेरे पिता से मन ही मन द्वेष करते है, तथा आए दिन हमारे घरवालो को परेशान करते है। और आज 26-5-2015 को दोपहर 12 बजे जब मै और पिताजी अपने खेत पर कार्य कर रहे थे तभी दो लोग आए और मेरे पिता से कहने लगे की या तो तु गांव छोड़कर चला जा वरना तेरा आने वाला वक्त खराब कर देंगे और मां बहन की गन्दी गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर उन लोगो ने लाठी एवं डण्डो से मारा, जिसके कारण पिता जी की दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई। जब झगड़े की आवाज को गांव वालो ने सुना तो उन्होने हमें बचाया। अतः अभियुक्तो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके रिपोर्ट लिखने की कृपा करे।

दिनांक
27-05-2015

प्रार्थी
करन शर्मा

CHARGE

FRAMING OF CHARGE

आपराधिक मामलो के विचरण मे न्यायालय दण्ड प्रक्रिया की धारा 211, 212, 213 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाते है।

न्यायालय प्रथम अपर,
जिला सत्र न्यायाधीश
विशेष सत्र
परीक्षण संख्या 251 सन 2015

सरकार

बनाम
अंकित पुत्र सोहन सिंह
निवाली – डेरा गांव
दिल्ली
धारा - 302 I.P.C.
थाना - डेरा गांव

मैं अंकित प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश दिल्ली अंकित पुत्र सोहन सिंह, निवासी डेरा गांव थाना डेरा गांव जिला साउथ दिल्ली, उम्र-35 वर्ष, पेशा- अध्यापक - पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ।

UNITED SECULAR SOCIETY

आपने दिनांक 03-2-2015 को समय 1 बजे स्थान डेरा गांव के तलाब के पास रमेश को चाकुओ से प्रकार करके मृत्युकारित करके हत्या की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो I.P.C की धारा 302 के अंतर्गत दण्डनीय है और सत्र न्यायालय के अंतर्गत है। मै इसके द्वारा निर्देश देता हुं कि आपका इस न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पर विचारण किया जाएं।

दिनांक - 6-2-15
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी
एवं सील

UNITED SECULAR SOCIETY

CONVEYANCING (प्रलेख शास्त्र)

प्रलेख शास्त्र का अर्थ – कोई व्यक्ति अपने सम्पतिक अधिकारो को विभिन्न प्रकार से अंतरित कर सकता है। **उदाहरणार्थ** – विक्रय, पट्टे दान आदी के विलेखो द्वारा तथा इन्ही विधि एवं दस्तावेजो के लिखने को प्रलेखन कहते है।

सम्पति अंतरण अधिनियम की धारा 2(10) के अनुसार हस्तान्तरण लेखन से तात्पर्य एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को चल या अचल सम्पत्ति के अंतरण से है।

प्रलेख शास्त्र का उद्देश्य – प्रलेखशास्त्र का उद्देश्य किसी जीवित व्यक्ति द्वारा सम्पति के अंतरण की इच्छा को किसी दस्तावेज द्वारा प्रकट करना है कि वह किन शर्तो पर किसी अन्य जीवित व्यक्ति को कोई चल या अचल सम्पति या कोई अन्य अधिकार प्रदान करना है जैसे बिक्री नाम से यह प्रकट होता है कि अंतरणकर्ता अपनी चल या अचल सम्पति किन शर्तो पर अंतरिती को अंतरित करता है। इसी प्रकार किरायनामे के दस्तावेज से मकान मालिक व किरायदार के बीच उत्पन्न आभारो का ज्ञात होता है।

UNITED SECULAR SOCIETY

SALE DEED - I

मैं राघव पुत्र रामनिवास निवासी दिल्ली, जो कि मैंने एक बाग विक्रय पत्र दिनांक 10-4-15 द्वारा श्रीमति राधा शर्मा निवासी दिल्ली से 10,000 रु नगद कीमत पर खरीदा था और उस तारीख से आज तक उक्त बाग पर पूर्ण स्वामी की हैसियत से काबिज हूँ और उसका उपयोग कर रहा हूँ। उसमे कोई अन्य भोगी अथवा साझीदार नही है और जो हर प्रकार के भार से मुक्त है। खरीददारी के पश्चात मैंने स्वयं इस वर्ष तक लगान भूमि विभाग को अदा किया है।

अब मुझे अपनी लड़की की शादी के लिए रुपए की आवश्यकता है। अत: उक्त समस्त बाग को मैंने आज इस विक्रय पत्र दिनांक 10-04-15 द्वारा देवेन्द्र पुत्र श्री संजय लाल निवासी दिल्ली को 10,000 रु० में विक्रय किया है। सब प्रतिफल उस क्रेता से रजिस्ट्री के समय नगद वसूल पा लिया। 10-04-15 से विक्रय सम्पति से मेरा कोई सम्बंध नही रहा। हस्तांतरित सम्पति पर क्रेता का कब्जा है। अब वह इसका पूर्ण स्वामी है।

अत: यह विक्रय पत्र अपने मस्तिष्क की

स्वस्थ दशा मे बिना किसी के दबावाव एवं बहकावे लिखा है। उपयुक्त कथन की पुष्टि आज दिनांक 10-05-2015 को मैंने तथा व्यक्तिगणों के हस्ताक्षर द्वारा पूर्ण की।

दिनांक - 10-05-2015
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
विक्रेता

साक्षीगण:
1. किशन पुत्र राज सिंह दिल्ली
2. राधेश्याम पुत्र जुगल किशोर दिल्ली

UNITED SECULAR SOCIETY

SALE DEED-II

स्वामी द्वारा मकान विक्रय करने का विलेख

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 03-02-15 में हरीराम पुत्र हीरासिंह निवासी छतरपुर दिल्ली (विक्रेता प्रथम पक्ष) मनोज कुमार पुत्र सागर चौधरी जाति ब्राह्मण निवासी डेरा गांव दिल्ली (क्रेता द्वितीय पक्ष) के बीच सम्पन्न हुआ।

जो कि प्रथम पक्ष एक मकान नं० 68 मेरा मोहल्ला मे स्थित है, जिसका विवरण निम्नलिखित है, का पूर्ण स्वामी है जिसको उसने बिक्री पत्र द्वारा दिनांक 08-8-12 को समशेर से खरीदा था। उक्त सम्पति को विक्रय करने का इकरारनामा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य दिनांक 03-02-15 को पूर्ण होकर इकरारनामा लिखकर रजिस्ट्री की गई। उक्त इकरारनामें के अनुसार बिक्री पत्र लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः दोनो पक्षो से स्वेच्छा से स्वस्थ मस्तिष्क की दशा मे, बिना किसी दबाव मे इस बिक्री-पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने तथा अपने उत्तराधिकारी को निम्नलिखित प्रतिबंधो से आबद्ध करते है:-

1. यह कि प्रथम पक्ष (विक्रेता) को मूल्य 40000/- जिसका आधा 20,000 रु होता है उक्त क्रेता

UNITED SECULAR SOCIETY

से इस प्रकार प्राप्त हुआ कि 10,000 रु० पहले अपने पारिवारिक व्यय के लिए ले लिया तथा 10,000 रु० बयाने के बतौर इकरारनामा की तिथि को पा चुके है तथा बाकी 20,000 रु० नगद रूप मे रजिस्ट्रार के समक्ष पाएगा।

2. यह कि उक्त सम्पत्ति पर से आज से प्रथम पक्ष ने अपना अधिकार उठा लिया है। अब उसका इस सम्पति पर कोई अधिकार नही है। द्वितीय पक्ष को समुचित लाभ- हानि उठाने का अधिकार हो गया है।

3. यह कि प्रथम पक्ष इकरार करता है कि उक्त सम्पति पर किसी भी प्रकार का भार नही है और न ही कोई साझेदार है। यदि कोई भार स्पष्ट हो या भागीदार उत्पन्न हो और उक्त सम्पति क्रेता के हाथ से निकल जाए तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष से उक्त सम्पति का मूल्य वसूल कर ले।

4. यह कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के समस्त अधिकार व उत्तरदायित्व सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार लागु होंगे।

UNITED SECULAR SOCIETY

अतः हम दोनो पक्षो ने इस पत्र के प्रकरण मे आज की तिथि मे हस्ताक्षर किया है।

विवरण विक्रय सम्पति

मकान न०-321/12 मोहल्ला नई वाली गली छतरपुर गांव दिल्ली
पश्चिम मकान छेदी लाल, पूर्व, रास्ता 15 फुट चौड़ा, उत्तर मकान विष्णु प्रसाद दक्षिण 25 फुट रोड।

दिनांक 06-2-15
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
विक्रेता

साक्षीगण
1. रामअवतार पुत्र शेर सिंह
2. त्रिभुवन पुत्र जगमाल

हस्ताक्षर
क्रेता

UNITED SECULAR SOCIETY

MORTGAGE DEED - I.

SIMPLE MORTGAGE — मैं अशोक शर्मा पुत्र श्री मुरारी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी लाडो सराय दिल्ली का हूँ, जो कि मैंने 8000 रु० जिसके आधे 4000 रु० होते है प्रकाश चन्द पुत्र श्री मोहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी लाडो सराय दिल्ली से नगद ऋण लिया है। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उक्त ऋण ब्याज सहित मांगने पर या अमुक समय में अदा करूंगा। उपरोक्त सांकेतिक महाजन के विश्वास निर्मित उक्त ऋण की प्रतिभूति में अपनी अमुक सम्पति का सादा बंधक करता हूँ और उसको अधिकार देता हूँ कि इस संविदा के अनुसार कुल या अंशतः बंधक धन संदाय करने में मेरे असफल रहने की दशा मे वह बंधक सम्पति का विक्रय करा ले।

मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि सम्पति के विक्रय के आगम उक्त ऋण को पूर्ण-चुकौती के लिए अपपारित हो तो शेष राशि को बंधकदार मेरी सम्पति से प्राप्त कर ले।

बंधक सम्पति का विवरण

मकान न० - D-328
स्थित - गली न० 3 डेरा गांव
दिल्ली।

UNITED SECULAR SOCIETY

चौहद्दी

पूरब - अब्दुल का मकान
पश्चिम - 10 फुट चौड़ा रोड
उत्तर - राकेश का मकान
दक्षिण - 25 फुट रोड

दिनांक 25-4-15
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
बंधक कर्ता

साक्षीगण:

1. सोहन लाल पुत्र मोहन
2. लाल सिंह पुत्र भूरे सिंह

UNITED SECULAR SOCIETY

MORTGAGE DEED-II

मैं शंकर पुत्र काशी प्रसाद जाति कुशवाहा निवासी लाडो सराय दिल्ली का हूँ जो कि मकान नं० 178 गली नं० 5, मोहल्ला नई, लाडो सराय दिल्ली का एकमात्र स्वामी हूँ और जिस पर किसी प्रकार का भार नहीं है और अमुक ऋण की अदायगी के लिए मुझको 20,000 रु० की आवश्यकता है। अतः उक्त मकान को अपने समस्त अधिकारों सहित 20,000 रु० में जिसके आधे 10,000 रु० होते हैं। मनोज कुमार पुत्र शेर सिंह जाति जाट निवासी लाडो सराय को सशर्त बिक्री द्वारा बंधक करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि उक्त बंधक 200/ मासिक ब्याज सहित 18-5-15 को बंधकदार को अदा करूंगा और यदि अदा न करूं तो बंधक सम्पत्ति विक्रय समझी जाएगी और उसको मुझे मोचन कराने का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

दिनांक - 25-2-2015   हस्ताक्षर
स्थान - दिल्ली   बंधककर्ता

साक्षीगण

1. राशिद खां पुत्र मो० अशफाक
2. रंजीत सिंह पुत्र डागर सिंह

UNITED SECULAR SOCIETY

LEASE DEED. I

Lease of Land for Build the Building

यह पट्टा आज दिनांक 2-2-15 मे रवि शर्मा पुत्र श्री विचित्र सिंह निवासी ___ प्रथम पट्टा शशांक शर्मा पुत्र रणवीर सिंह निवासी दिल्ली पट्टादार द्वितीय पक्ष मे सम्पन्न हुआ, जो कि प्रथम पक्ष की एक परती भूमि जिसका विवरण इस विलेख के नीचे दिया गया है। जिसका प्रथम पक्ष एक मात्र स्वामी है। प्रार्थना इस बात की कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष को मकान बनवाने के लिए पट्टा पर दे दे और द्वितीय पक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया।

अत: पट्टा प्रदर्शित करता है कि।.

1. 25000 रु० द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को अदा कर दिया है। प्रथम पक्ष इसकी प्राप्ति कां विलेख स्वीकार करता है तथा वार्षिक किराया 5000 रु० के बदले प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदार को भूमि पर मकान निर्माण करने के लिए निम्न शर्तो पर पट्टे पर दिया और पट्टेदार का उस भूमि पर कब्जा व दखल करा दिया।

2. पट्टेदार उस पट्टे की भूमि का 5000 रु० वार्षिक किराया अमुक तिथि पर देगा। यदि नियुक्त

UNITED SECULAR SOCIETY

तिथि के 15 दिन के अंदर किराया अदा न होगा तो बाकी किराए की रकम पर पट्टेदार 1.200 प्रतिशत मासिक ब्याज अदा करने का दायी होगा।

3. पट्टेदार आज से 30 वर्ष तक उस भूमि का उपयोग करेगा। उस भूमि पर मकान निर्माण करे और उसे अधिकार होगा कि अपने निर्माण किए हुए मकान का वह स्वयं उपयोग करे या किराए पर उठाए, परन्तु उक्त भूमि को ऐसे किसी मशीन के कारखाने या भट्टा का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा।

4. पट्टेदार को बिना पट्टाकर्ता की पूर्व आज्ञा के उक्त भूमि पर अपने निर्माण किए हुए मकान को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ बेचने का अधिकार नहीं होगा।

5 पट्टे की उक्त अवधि समाप्त होने पर पट्टेदार को फिर 20 वर्ष के लिए पट्टा अपनी इच्छा पर कराने का अधिकार होगा। परन्तु इसके पश्चात पट्टे का नवीनीकरण केवल पट्टाकर्ता की स्वेच्छा पर ऐसी शर्तों पर जिसे पट्टाकर्ता चाहेगा हो सकेगा अन्यथा नहीं।

6. पट्टे का किसी कारण अंत होने पर पट्टेदार को यदि पट्टाकर्ता मकान न खरीदे तो उसे

UNITED SECULAR SOCIETY

प्राथमिक अधिकार होगा कि पट्टे वाली भूमि पर मलबा हटाने का दायित्व पट्टेदार पर होगा।

7 पट्टे की भूमि पर जिस मकान का निर्माण होगा उस पर नगरपालिका का या जो अन्य कर लगेगा वह सब पट्टेदार अदा करेगा।

8. पट्टाकर्ता व पट्टेदार शब्द के अंतर्गत उनके उत्तराधिकारी निष्पादक व प्रशासक समझे जाएंगे।

उपरोक्त विलेख के प्रभाव से आज दोनों पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

UNITED SECULAR SOCIETY

भूमि की चौहद्दी: 1. पूर्व – 1½ बीघा कृषि भूमि राम की
2. पश्चिम – आम रास्ते की सड़क
3. उत्तर – आम का बाग रामवतार का
4. दक्षिण – गांव का तालाब

दिनांक 06-4-15
स्थान दिल्ली

साक्षीगण
1. मनोज कुमार पुत्र वेदपाल
2. दिनेश सिंह पुत्र रामसिंह

हस्ताक्षर
प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर
द्वितीय पक्ष

LEASE DEED-II

मासिक किराए पर मकान का पट्टा।

यह किरायानामा आज दिनांक 03-2-15 को श्री शेरसिंह पुत्र हरी सिंह निवासी मदनगीर दिल्ली मकान मालिक प्रथम पक्ष व प्रवीन पुत्र पवन निवासी बदरपुर दिल्ली (किरायेदार) द्वितीय पक्ष में सम्पन्न हुआ। जो कि प्रथम पक्षकार का मकान न0 38/10 मदनगीर दिल्ली मे स्थित है। जिसको द्वितीय पक्ष ने 3000 रू0 मासिक किराए पर 11 महीने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर प्रथम पक्ष से लिया।

1. किरायेदारी की अवधि तक उस मकान का कब्जा किरायेदार के पास रहेगा। वह उसमें निवास करे या ना करे, प्रत्येक महीने किराया देना होगा।

2. यह कि किराया प्रत्येक माह 1 से 7 तारीख तक देय होगा, विलम्ब होने पर 1% का अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

3. यह है कि मकान की मरम्मत एवं सफाई मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी।

4. यह कि जब तक उक्त मकान किरायेदार के पास रहेगा, वह उसे केवल निवास के काम मे ही करेगा, किसी व्यवसायिक कार्य के लिए नहीं।

UNITED SECULAR SOCIETY

5. किरायेदार मकान मे किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नही करेगा, अगर वह कोई तोड़फोड़ करेगा तो उसका उतरायी वह स्वयं होगा।

6. यह कि किरायानामे की अवधि के अंदर किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार होगा।

7. यह कि किरायेदार अपनी इच्छा से अगर मकान खाली करता है, तो उसे अग्रिम एक महीने का नोटिस देना होगा, अन्यथा एक महीने का किराया देगा।

8. यदि किरायेदार किसी भी उपरोक्त शर्त का उल्लंघन करेगा तो मकान मालिक नोटिस देने के बाद उससे मकान खाली करवा सकेगा।

इस विलेख के प्रमाण पर आज दिनांक 6-2-15 को दोनो पक्षकारो ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

दिनांक - 06-02-15
स्थान - दिल्ली

हस्ताक्षर
प्रथम पक्ष (मकान मालिक

साक्षीगण
1. रामस्वरूप पुत्र वैद्यनाथ
2. राममूर्ति पुत्र शिवराज

हस्ताक्षर
द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

UNITED SECULAR SOCIETY

GIFT DEED

भूमिदान विद्यालय के लिए।

यह दान-पत्र आज दिनांक 05-3-15 को हरीराम पुत्र किशन सिंह जाति ब्राह्मण निवासी लाडो सराय दिल्ली प्रथम पक्ष की ओर से सरस्वती शिक्षा संस्थान जिसका रजिस्ट्रीकरण सोसाइटी अधिनियम 1860 के अधीन हो चुका है। द्वितीय पक्ष से सम्पन्न हुआ।

अतः

1. हरीराम को शिक्षा के प्रसार मे अधिक रुचि है। जिससे द्वितीय पक्ष ने अपने स्कूल के लिए भूमि की मांग की और हरीराम ने स्वीकार करते हुए उसको भूमि दान स्वरूप भेंट की।

2. उक्त भूमि का दानी पूर्ण स्वामी है, जिसको अपने निजी धन से क्रय किया था और दानी को अंतरण करने का पूर्ण अधिकार है। यह भूमि प्रत्येक प्रकार से भार मुक्त है।

दिनांक - 05-2-15
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
दान कर्ता
हस्ताक्षर
दान गृहीता

UNITED SECULAR SOCIETY

PROMISSORY NOTE-I

मांग पर देय वचन पत्र

मांग पर मैं श्याम सिंह आयु 32 वर्ष पुत्र नारायण सिंह निवासी मॉडल टाउन पूर्वी दिल्ली यह वचन देता हूँ कि गोपाल शर्मा आयु 28 वर्ष को पुत्र रामप्रकाश शर्मा निवासी किशनगंज दिल्ली को या उनके आदेश पर 5000 रु० मात्र की धनराशि और उसके साथ 2% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करूंगा। जब तक कि प्राप्त मूल्यों का पुनः भुगतान नहीं हो जाता।

अतः यह प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आए।

दिनांक
05-03-15
स्थान- दिल्ली

हस्ताक्षर
नारायण सिंह

UNITED SECULAR SOCIETY

PROMISSORY NOTE II

साधारण वचन-पत्र मैं कि राजेश पुत्र लाखन सिंह, निवासी बदरपुर दिल्ली प्रतिज्ञा करता हूँ कि 20000 रु० जिसके आधे 10000 रु० होते हैं मनोज कुमार पुत्र शिशपाल निवासी जैतपुर दिल्ली को जो उनसे नगद ग्रहण लिया है दो प्रतिशत मासिक ब्याज सहित मांग पर अदा करूंगा।

अतः यह प्रतिज्ञा-पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आए।

दिनांक 05-5-15
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
राजेश

UNITED SECULAR SOCIETY

POWER OF ATTORNEY-I

विशेषाधिकार पत्र किसी विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए

मैं गोपाल वर्मा पुत्र गौरीशंकर वर्मा निवासी दिल्ली का हूं, मैंने एक विक्रय विलेख वंश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी दिल्ली के हक में लिखा है।

मैं स्वयं इस समय उक्त विक्रय विलेख को कार्यालय सब रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री के लिए पेश नहीं कर सकता। अतः मैं केशव शर्मा पुत्र श्री राजवीर शर्मा निवासी दिल्ली को निम्नलिखित कार्य के लिए अपना विशेषाधिकार नियुक्त करता हूं।

UNITED SECULAR SOCIETY

1. यह है उक्त केशव शर्मा मेरा निष्पादक विक्रय विलेख बाबत मकान न० 35 स्थित अशोक नगर दिल्ली को लिखे में मुबलिग 5000 रु० कीमत उक्त केशव शर्मा के हाथ में दे रहा हूं यह मेरी ओर से कार्यालय सब-रजिस्ट्रार में पेश करके उसकी रजिस्ट्री कराये और उसके सम्बंध में अन्य जो आवश्यक कार्य हो करे।

2. यह है कि रजिस्ट्री के समय उक्त क्रेता से क्रय दाम मुबलिग 5000 रु० कीमत उक्त

रमा शर्मा के हवाले प्राप्त करे और उसकी रजिस्ट्री रसीद का विक्रय विलेख पर पृष्ठांकन करे ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा नियुक्त अधिकारी केशव शर्मा के समस्त वैध कार्य मेरे द्वारा किए समझे जाएंगे ।

दिनांक 25-04-15
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
(अधिकार दाता)
गोपाल वर्मा

UNITED SECULAR SOCIETY

WILL

पति द्वारा अपनी पत्नी के हित मे सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार का इच्छा-पत्र।

मैं सत्यप्रकाश श्री सौरभ सिंह निवासी अशोक नगर दिल्ली का हूँ अपनी स्वेच्छा से वसीयत अपनी पत्नी के नाम कर रहा हूँ।

मैं अपनी वसीयत से पूर्व लिखित पत्रों व वसीयतो को भंग करता हूँ और घोषित करता हूँ कि यह मेरी अंतिम प्रक्रिया वसीयत है।

मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा निष्पादक जो एतदुपरान्त नामांकित किया जाएगा मेरे समस्त ऋण व मुझको अन्य देनगी को मेरी मृत्यु के पश्चात अदा कर दे।

धारा-2 मे वर्णित व्यय के पश्चात मेरी जो कुछ भी चल व अचल सम्पत्ति उस समय मे पारित होगी, उन सबको अपनी धर्मपत्नी किरन के लिए सम्पूर्ण स्वामित्व सहित अपनी मृत्यु के पश्चात रिक्त में छोड़ता हूँ।

मैं अपनी पत्नी को अपनी वसीयत का निष्पादक नियुक्त करता हूँ। प्रमाण स्वरूप मुझे अनुराग ने आज दिनांक 8.4.15

UNITED SECULAR SOCIETY

को अपने हस्ताक्षर किए

दिनांक 08.04.15

हस्ताक्षर
अनुराग (अनुदान कर्ता)

उपर्युक्त अनुदान कर्ता के हम दोनो साक्षियों की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किए और दोनो साक्षियों ने अनुदान कर्ता की उपस्थिति मे उसके कथन की सत्यता और हस्ताक्षर के प्रमाण मे अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

साक्षीगण
1. रामसिंह पुत्र जोगाराज
2. नितिन पुत्र जसवीर

दिनांक 08.04.15
स्थान दिल्ली

हस्ताक्षर
(अनुदान कर्ता)

UNITED SECULAR SOCIETY

DEED OF ADOPTION

हिन्दु पुरुष द्वारा किए गए दत्तक ग्रहण का विलेख ।

दत्तक ग्रहण के इस लेख का निष्पादन दिनांक 05-02-15 को दिनेश कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र निखलेश के निवासी महरौली दिल्ली (दत्तक ग्रहीता पिता) और जो एक पक्षकार है तथा अनिल आयु 45 वर्ष पुत्र मनोज निवासी डेरा गांव दिल्ली, जिसे आगे प्राकृतिक पिता कहा गया है और जो दूसरा पक्षकार है, के बीच हुआ है।

चूंकि दिनेश कुमार के कोई प्राकृतिक पुत्र नहीं और उसकी यह इच्छा है कि उसका वंश चलता रहे तथा उसका और उसके पितरों का पिण्डदान होता रहे।

अतः उक्त इच्छा की पूर्ति के लिए दिनेश कुमार ने राहुल पुत्र अनिल जिसकी आयु 7 वर्ष है। आज दिनांक 05-02-15 को गोद लिया और उक्त दिनेश कुमार यह घोषित करता है कि उक्त अनिल ने राहुल को उक्त दिनेश कुमार को गोद दिया और दिनेश कुमार ने राहुल को गोद ग्रहण किया।

इस लेख के द्वारा यह भी घोषित

UNITED SECULAR SOCIETY

किया जाता है कि उक्त दत्तक पुत्र का दत्तक ग्रहण के पश्चात दत्तक ग्रहीता पिता से उसका विकास नाम से नामकरण किया है, और उक्त दत्तक पुत्र राहुल ने अपने प्राकृतिक माता-पिता के परिवार के अधिकारो तथा दायित्वो से अपने सम्बंध तोड़ दिए है तथा उसने दत्तकग्रहीता माता-पिता के परिवार के दायित्वो को प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाले पुत्र के रूप में पुरा करेगा। इस लेख के प्रमाण में दिनेश कुमार और अखिल ने साक्षीगणो के समक्ष अपने हस्ताक्षर किए।

30/06/15

दिनांक 05-02-15
स्थान दिल्ली

साक्षीगण
1. अमृत लाल पुत्र गोविन्द
2. देवराज पुत्र शंकर

हस्ताक्षर
दत्तकग्रहीता

हस्ताक्षर
दत्तककर्ता

UNITED SECULAR SOCIETY